निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या :193/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सूरजमल पुत्र स्व॰ श्री कल्याण जाति बलाई निवासी ग्राम राजवास तहसील आमेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1.गुलाब देवी पत्नी स्व॰ श्री रमेश चन्द गुर्जर

2.सुरेन्द्र मोहन पुत्र स्व॰ श्री रमेश चन्द गुर्जर

3.मन मोहन पुत्र स्व॰ श्री रमेश चन्द गुर्जर

जरिये मुख्त्यारआम चन्द्र मोहन पुत्र स्व॰ श्री रमेश चन्द गुर्जर

जाति गुर्जर निवासी 20–ए, जय अम्बे कालोनी, सिविल लाईन, जयपुर ।

4.चन्द्र मोहन पुत्र स्व॰ श्री रमेश चन्द गुर्जर जाति गुर्जर निवासी 20–ए, जय अम्बे कालोनी, सिविल लाईन, जयपुर ।

5.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

6.ग्यारसी लाल पुत्र प्रभात जाति बलाई निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर हाल उप तहसील रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर ।

8.उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2023 व उनवानी श्रीमती गुलाब देवी बनाम रामलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री राम प्रसाद कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विक्रम सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.12.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 49/2023 व उनवानी श्रीमती गुलाब देवी बनाम रामलाल व अन्य

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ऊंची राजनैतिक पहुँच रखते है तथा प्रभावशाली व्यक्ति है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त प्रकरण के प्रार्थी के विरूद्व करवाने पर आमादा है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के प्रभाव व दबाव में है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में कुछ समय से छोटी तारीख पेशी प्रदान की जा रही है तथा उक्त प्रकरण में ही विशेष रूची ली जा रही है जबकि उक्त प्रकरण अधिक पुराना नही है बल्कि वर्ष 2023 से ही लम्बित है। जबकि उक्त न्यायालय में अन्य प्रकरण भी काफी पुराने चल रहे है लेकिन अन्य पुराने प्रकरणों में रूची नहीं लेकर उक्त प्रकरण में ही ज्यादा रूची ली जा रही है तथा प्रार्थी को न्याय से वंचित करने पर आमदा है जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त पीठासीन अधिकारी से आय की कोई उम्मीद नहीं है।

5. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2023 ब उनवानी श्रीमती गुलाब बनाम रामलाल व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर

जिला कलक्टर
जयपुर

दक्षिण (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.12.2023 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **19.12.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner